

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसचिवना

पटना—15, दिनांक : 15 अक्टूबर, 2018

संख्या:1/अ0नि0प्र0—1004/2014—सा0प्र0—13842/श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2003), कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार—विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) की अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—4 (जो दिनांक 19.10.2018 को समाप्त होगा) से आच्छादित शेष अनुपस्थिति अवधि तक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना का अतिरिक्त प्रभार, श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0(बी एच: 2007), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसायटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) के पास रहेगा।

संख्या:1/अ0नि0प्र0—1004/2014—सा0प्र0—13843/डॉ करुणा कुमारी, भा0प्र0से0 (ए एम : 2010) अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसायटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१५-१०-१४
(कर्नेया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—1/अ0नि0प्र0—1004/2014 —सा0प्र0—13843/पटना—15, दिनांक: 15 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासक पदाधिकारी, प्रशास्त्रा—01, एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५-१०-१४
सरकार के अवर सचिव।